

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'बावन'

प्रश्न सं. [क. 6598]

[31/3/2016]

अतारकित प्रश्न क्रमांक 6598 श्रीमति इमरती देवी के प्रश्न के उत्तर में माननीय विधानसभा क्षेत्र 34 मुंगावली के विधायक द्वारा एस.डी.ओ., जिलाधीश व आयुक्त महोदय ग्वालियर, शासकीय भूमि व भवनों पर अतिक्रमण हटाने के बारे में पिछले 02 वर्ष में भेजे गये पत्र व उन पर की गई कार्यवाही की जानकारी

क.	शिकायत क्रमांक व दिनांक	शिकायतकर्ता व कार्यालय का नाम	शिकायत का सारांश	शिकायत का निराकरण
1	29.10.2013	श्री हरिशंकर अथाईखेडा, श्री महेंद्र सिंह कालूखेडा, विधानसभा क्षेत्र 034 मुंगावली	मुंगावली बहादुर पुर रोड स्थित डिपो पर आदिमजाति कल्याण विभाग का पुराना शासकीय भवन से अतिक्रमण हटाने के संबंध में	कस्ता रेंज में शासकीय भवन डिपो मुंगावली को खाली कराकर अपने कब्जे में लेकर भवन आदिम जाति कल्याण विभाग का होने से भवन की चाबी जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग को सौंपी जा चुकी है तथा एस.डी.ओ. महोदय द्वारा अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया गया था। उस आदेश के किरूद्ध माननीय अपर आयुक्त महोदय द्वारा स्थगन आदेश दिया गया है।
2	03.11.2013	श्री हरिशंकर अथाईखेडा, श्री महेंद्र सिंह कालूखेडा, विधानसभा क्षेत्र 034 मुंगावली	उपरोक्तानुसार	निराकरण उपरोक्तानुसार।
3	07.11.2013	श्री हरिशंकर अथाईखेडा, श्री महेंद्र सिंह कालूखेडा, विधानसभा क्षेत्र 034 मुंगावली	उपरोक्तानुसार	निराकरण उपरोक्तानुसार।
4	13.11.2013	श्री हरिशंकर अथाईखेडा, श्री महेंद्र सिंह कालूखेडा, विधानसभा क्षेत्र 034 मुंगावली	उपरोक्तानुसार	निराकरण उपरोक्तानुसार।
5	26.12.2013	श्री हरिशंकर अथाईखेडा, श्री महेंद्र सिंह कालूखेडा, विधानसभा क्षेत्र 034 मुंगावली	उपरोक्तानुसार	निराकरण उपरोक्तानुसार।
6	07.11.2013	श्री महेंद्र सिंह कालू खेडा	ग्राम पिपरई स्थित शासकीय अस्पताल एंव स्कूल की भूमि पर कब्जा हटाने के संबंध में।	ग्राम पिपरई स्थित शासकीय अस्पताल की भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में धारा 248 के तहत तहसीलदार मुंगावली के प्र.क. 5A68/2013-14 कायम किया जा कर न्यायालयीन कार्यवाही प्रचलित है।
7	13.11.2013	श्री महेंद्र सिंह कालू खेडा	उपरोक्तानुसार	निराकरण उपरोक्तानुसार।
8	23.01.2014	श्री महेंद्र सिंह कालू खेडा	ग्राम अथाईखेडा स्थित भूमि सर्वे नं 696/1 शासकीय भूमि पर अतिक्रमण की शिकायत होने यावत।	ग्राम अथाईखेडा में सड़क किनारे शासकीय भूमि सर्वे नं 696/1 रकबा 1.000 हेक्टेयर शासकीय भूमि सर्वे नं 696/1 पर से अतिक्रमण होने से मौका जांच उपरगत प्र.क. 227 अ 68/2011-12 में न्यायालय नायब तहसीलदार मुंगावली के न्यायालय में प्रचलित था। इसी दौरान अनुवादक अजय प्रताप सिंह के द्वारा आपत्ती की गई थी। इस न्यायालय द्वारा आपत्ती को

क्र. सं. 6598 "अतिरिक्त" अं

9	02.02.2014 04.04.2014 कलेक्टर महोदय अशोकनगर की ओर से प्राप्त	श्री महेन्द्र सिंह कालू खेडा	उपरोक्तानुसार	निरस्त किया गया था जिसकी निगरानी आपत्तीक द्वारा माननीय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर में की गई है। जिसका प्र.क्र. 2982-1/15/निगरानी में द किया गया है। प्र.क्र. माननीय राजस्व मंडल विचाराधीन है।
10	07.11.2013	श्री महेन्द्र सिंह कालू खेडा	उपरोक्तानुसार	निराकरण उपरोक्तानुसार।
11	37 दिनांक 21.12.2013	श्री महेन्द्र सिंह कालू खेडा	ग्राम बहादुर के भूमि सर्वे न. 05 नाले के पास की भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में।	ग्राम बहादुरपुर स्थित नाले के पास सर्वे न. 05 की भूमि पर से निर्माण कार्य रोका जा कर अतिक्रमण हटा दिया गया है।
12	27 दिनांक 21.12.2013	श्री महेन्द्र सिंह कालू खेडा	ग्राम बहादुरपुर स्थित कांजी हाउस पर अतिक्रमण के संबंध में।	ग्राम बहादुरपुर कांजी हाउस ग्राम पंचायत के अधीन तथा कब्जा भी उन्ही का है।
13	708 दिनांक 20.01.2016	श्री महेन्द्र सिंह कालू खेडा	ग्राम पंचायत के द्विपो भवन जिसको किराये दारी के नाम से भू-माफियाओं ने कब्जा कर रखा है वहीं वगल में विधायक निधि से बने रैनबसेरा धर्मशाला की बाउन्ड्रीवाल सहित इसी भू-माफिया ने कब्जा कर रखा है। उसे हटाकर करबा रेंज ग्राम पंचायत को सौंपने के बारे में	ग्राम पंचायत करबा रेंज के सचिव को रैन बसे धर्मशाला भवन का कब्जा लेने हेतु पत्र भेजा गया उसने उपस्थित होकर बताया कि रैन बसेरा धर्मशाला ग्राम पंचायत करबा रेंज के उहराव प्रस्ताव क्रमांक 1 आदेश दिनांक 26.01.2016 द्वारा सर्व सम्मति सार्वजनिक सभिति को सौंपा गया था। सभिति में सदस्य हैं उनके द्वारा देख रेख की जाती है अरं कब्जा किसी का नहीं है।

अशोकनगर अधिकाारी  
कलेक्टर महोदय  
राजस्व विभाग 2बी

तहसील मुंगावली